

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 187/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹0 152.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	ALMORA FOREST DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	131.43	37.46
Plantation Maintenance - CA	ha	376.67	35.03
Nursery Maintenance - CA	Nos.	600000	9.00
Nursery Raising - CA	Nos.	200000	16.08
Contour Trenches	ha	200	20.00
Creation of water bodies	Nos.	50	5.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	10	5.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	200	10.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	200	15.06
Total			152.63

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

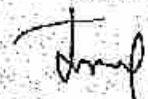
नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्ति करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOG) आधार पर पण्डित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रव्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/ATGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0-एस्ट0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 187 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2010 (2010 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरगाव/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 188 /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 161.30 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	ALMORA CS DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Contour Trenches	ha	150	17.70
Creation of water bodies	Nos.	268	36.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	8	2.80
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	7	86.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	50	5.80
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	10	10.00
Sub Total			158.30
BINSAR WLS			
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	3.00
Sub Total			3.00
Total			161.30

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

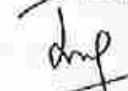
नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2010' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2010' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित हैं उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं हैं। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 188 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस्० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 189/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 92.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	CHAMPAWAT DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	20.92	5.88
Plantation Maintenance - CA	ha	164.99	15.98
Contour Trenches	ha	50	30.00
Creation of water bodies	Nos.	139	8.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	408	32.00
Total			92.36

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

3

7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हरतपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रयुक्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅग्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 189 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

10

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 190/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग,
उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 210.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	UTTARKASHI SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	21	12.73
Contour Trenches	ha	178	17.80
Creation of water bodies	Nos.	98	27.30
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	6	3.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	510	127.50
Lantana Removal/Invasive Species	ha	28	22.63
Total			210.96

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 190 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 191 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 163.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	UTTARKASHI DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	137.57	48.47
Plantation Maintenance - CA	ha	122.88	13.32
Nursery Maintenance - CA	Nos.	532000	26.65
Contour Trenches	ha	80	8.00
Creation of water bodies	Nos.	100	26.30
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	22	7.80
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	360	33.00
Total			163.54

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रगावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 191 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजापुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-192/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
डैम प्रथम वन प्रभाग,
टिहरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 440.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TEHRI DAM1 DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	110	64.68
Contour Trenches	ha	600	60.00
Creation of water bodies	Nos.	200	65.50
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	30	60.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	600	180.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	62.5	10.00
Toatal			440.18

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

५

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा 'को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOS) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारागव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 192/3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी रागिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 193 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
डैम द्वितीय वन प्रभाग,
टिहरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 200.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TEHRI DAM2 DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	32.5	19.11
Contour Trenches	ha	127	15.88
Creation of water bodies	Nos.	72	30.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	403	135.89
Total			200.88

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

5

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 193 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 194 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 280.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TEHRI DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	213.52	75.23
Plantation Maintenance - CA	ha	154.38	18.98
Nursery Maintenance - CA	Nos.	300000	5.67
Nursery Raising - CA	Nos.	59080	5.25
Contour Trenches	ha	80	12.00
Creation of water bodies	Nos.	60	21.50
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	21	58.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	170	51.10
Lantana Removal/Invasive Species	ha	183	33.00
Total			280.73

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्त्र गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागप्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुराची (SOR) आधार पर गठित आगमन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगमन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RtGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 194 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(जि० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 195/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 649.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	DEHRADUN DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	170.82	66.63
Plantation Maintenance - CA	ha	1589.62	198.57
Nursery Raising - CA	Nos.	250000	27.50
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	105	121.77
Contour Trenches	ha	80	8.10
Creation of water bodies	Nos.	5	25.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	40	40.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	1000	50.00
Plantation for soil and water conservation	ha	5	10.00
Percolation pits	ha	200	50.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	150	37.37
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	60	15.00
			649.94

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

२

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्ति करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गणित आगणना का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन भागलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आर्थ-व्यय के संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरेमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित विभा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनबॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयांतर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासंभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 195/3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 196 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग,
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 448.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	HARIDWAR DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	344.2	134.88
Plantation Maintenance - CA	ha	270	38.59
Nursery Maintenance - CA	Nos.	628000	8.92
Nursery Raising - CA	Nos.	400000	37.40
Contour Trenches	ha	100	12.00
Creation of water bodies	Nos.	16	15.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	10	63.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	100	50.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	100	18.70
Lantana Removal Maintenance	ha	315.25	6.52
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	45	12.50
Sub Total			397.51
		JHILMIL CR	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Creation of water bodies	Nos.	12	8.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	18	20.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	25	15.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	9	8.00
Sub Total			51.00
Total			448.51

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अन्तर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हरतपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षग प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं हैं। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RACS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटों भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।

25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 196 / 3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 30) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-197 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैंसडौन वन प्रभाग,
लैंसडौन उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 366.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	LANSDOWNE DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation Maintenance - CA	ha	8.53	1.39
Nursery Maintenance - CA	Nos.	130000	8.87
Contour Trenches	ha	585	69.03
Creation of water bodies	Nos.	37	65.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	7	89.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	354	42.46
Lantana Removal/Invasive Species	ha	375	90.96
TOTAL			366.71

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

5

5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर गथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/साधित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 197 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 198/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0 सं0 वन प्रभाग,
लैंसडौन उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 314.505 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	LANSDOWNE SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation Maintenance - CA	ha	61.79	6.20
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	70	51.79
Contour Trenches	ha	100	20.00
Creation of water bodies	Nos.	33	10.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	15	75.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	547	141.52
Lantana Removal/Invasive Species	ha	40	10.00
TOTAL			314.505

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

3

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति राक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को गिरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RAGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. सागरत स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 198 / 3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 199/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू सं वन प्रभाग,
कालसी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 324.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	KALSI SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	90.19	35.34
Plantation Maintenance - CA	ha	193.59	24.18
Nursery Maintenance - CA	Nos.	275551	19.62
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	95	73.11
Contour Trenches	ha	415	39.60
Creation of water bodies	Nos.	19	7.05
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	27	24.25
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	539	80.00
Percolation pits	ha	9	0.90
Lantana Removal/Invasive Species	ha	100	18.68
Lantana Removal Maintenance	ha	37.52	0.49
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	9	0.90
Total			324.12

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

5

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना राक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOS) आधार पर गणित आगणन का राक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RGDS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जगमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 199 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 200 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनीकिरेती उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 791.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	NARENDRA NAGAR DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	62.13	21.89
Plantation Maintenance - CA	ha	1716.52	197.61
Nursery Maintenance - CA	Nos.	583000	24.66
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	174	91.04
Contour Trenches	ha	180.3	45.30
Creation of water bodies	Nos.	59	22.62
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	37	40.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	1409	147.09
Plantation for soil and water conservation	ha	140	125.00
Percolation pits	ha	57	5.13
Lantana Removal/Invasive Species	ha	300	57.00
Lantana Removal Maintenance	ha	170	4.44
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	20	9.00
Total			791.28

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के कियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

3

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्ति करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गणित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मासिक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 200 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 261 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 441.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	GARHWAL DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	56.01	25.87
Plantation Maintenance - CA	ha	424.24	76.13
Nursery Maintenance - CA	Nos.	212054	10.60
Nursery Raising - CA	Nos.	234000	23.40
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	95	88.32
Contour Trenches	ha	77	90.00
Creation of water bodies	Nos.	120	29.40
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	5	22.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	330	63.75
Lantana Removal Maintenance	ha	80	6.59
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	25	5.00
Total			441.56

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के कियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

5

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को गिरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्सोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारामभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भचदीय,

 (जे0 एस0 सुहाग)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 201 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जो एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-202/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम वन प्रभाग,
पौड़ी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 258.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	PAURI CS DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	68	13.26
Contour Trenches	ha	50	5.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	10	140.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	200	100.00
Total			258.26

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

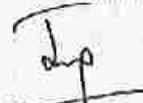
नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं हैं। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत हैं तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को गिरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्थोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/सायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासमभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



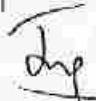
(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 202/3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल ज़ोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 203 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
बद्रीनाथ उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 263.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	BADRINATH DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	151.38	69.92
Plantation Maintenance - CA	ha	257.67	36.98
Nursery Maintenance - CA	Nos.	159033	4.77
Nursery Raising - CA	Nos.	209318	20.93
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	60	33.00
Contour Trenches	ha	220	22.00
Creation of water bodies	Nos.	75	24.90
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	44	30.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	180	18.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	27	2.70
Total			263.20

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रतिष्ठि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शाराकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं हैं। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्सोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में गनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 203 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 204 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू सं वन प्रभाग,
अलकनन्दा उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 286.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	ALAKNANDA SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	8	8.45
Plantation Maintenance - CA	ha	5.81	0.16
Nursery Maintenance - CA	Nos.	14805	0.61
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	30	13.50
Contour Trenches	ha	250	50.00
Creation of water bodies	Nos.	75	25.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	56	43.74
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	200	85.00
Pasture Development	ha	67	60.00
Total			286.46

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

3

5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOS) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 204 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 205/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 618.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	RUDRAPRAYAG DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	351.78	150.88
Plantation Maintenance - CA	ha	348.41	55.14
Nursery Maintenance - CA	Nos.	425000	12.75
Nursery Raising - CA	Nos.	455000	45.50
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	100	93.00
Contour Trenches	ha	100	20.00
Creation of water bodies	Nos.	50	50.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	15	50.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	766	118.40
Percolation pits	ha	100	3.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	8	20.00
Total			618.67

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित करायें जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

५

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्ता की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रगती कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

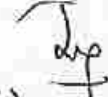
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 205 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 206 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 170.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	UPPER YAMUNA DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	15.79	7.13
Plantation Maintenance - CA	ha	269.51	31.70
Nursery Maintenance - CA	Nos.	661891	22.24
Nursery Raising - CA	Nos.	30000	1.78
Contour Trenches	ha	125	16.25
Creation of water bodies	Nos.	79	31.60
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	27	18.60
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	125	37.50
Lantana Removal/Invasive Species	ha	70	3.81
Total			170.61

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

5

5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर को कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0-एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 206 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-207/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,
चकराता उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 484.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	CHAKRATA DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	94.86	33.42
Plantation Maintenance - CA	ha	290.25	37.11
Nursery Maintenance - CA	Nos.	453000	19.16
Nursery Raising - CA	Nos.	260000	28.00
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	70	48.75
Contour Trenches	ha	1750	67.57
Creation of water bodies	Nos.	47	50.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	20	30.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	330	55.00
Plantation for soil and water conservation	ha	30	30.00
Percolation pits	ha	100	50.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	100	15.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	20	20.00
Total			484.01

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

2

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RtGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित गद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 207 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-208/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 407.91 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

MUSSOORIE DIVISION			
Name of Activity	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation Maintenance - CA	ha	93.11	11.02
Nursery Maintenance - CA	Nos.	6000	0.24
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	65	44.00
Contour Trenches	ha	305	51.25
Creation of water bodies	Nos.	30	15.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	28	48.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	680	107.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	267	40.00
Lantana Removal Maintenance	ha	248	9.92
Pasture Development	ha	28	25
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	3	0.75
TOTAL			352.18
BINOG WLS (Mussoorie FD)			
Contour Trenches	ha	20	5.00
Creation of water bodies	Nos.	12	1.60
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	30	28.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	52	10.40
Percolation pits	ha	8	2.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	18	3.33
Lantana Removal Maintenance	ha	100	2.60
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	2.80
Total			55.73
All Total			407.91

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मागलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/ITDS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 208/3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 209/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 107.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TONS DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	58.51	20.62
Plantation Maintenance - CA	ha	261.29	30.31
Nursery Maintenance - CA	Nos.	1	15.00
Contour Trenches	ha	190	19.00
Creation of water bodies	Nos.		
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	25	20.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	48	2.40
Total			107.33

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

5

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्ताक्षरिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लॉसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासंभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 209 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-210 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

निदेशक,
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 391.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	RAJAJI NATIONAL PARK	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Contour Trenches	ha	50	23.50
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	6	25
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	300	46.05
Lantana Removal/Invasive Species	ha	1000	246
Lantana Removal Maintenance	ha	542	21.34
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	20	30.00
			391.89

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी संक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय दस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथाराम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 218 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-211 /3-3(5)/2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

उप निदेशक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 291.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	NANDADEVI NATIONAL PARK	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	100.19	40.03
Plantation Maintenance - CA	ha	555.44	37.92
Contour Trenches	ha	110	12.49
Creation of water bodies	Nos.	44	20.20
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	8	30.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	172	95.30
Plantation for soil and water conservation	ha	10	5.00
Percolation pits	ha	10	5.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	273	30.00
Lantana Removal Maintenance	ha	100	7.25
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	14	7.95
Total			291.14

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

5

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य संपन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चेक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवांच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न हो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा संपादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाए।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0-एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 211 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-212/3-3(5)/2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 322.30 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	KEDARNATH DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	105.06	36.98
Plantation Maintenance - CA	ha	608.15	87.19
Nursery Maintenance - CA	Nos.	141000	5.64
Nursery Raising - CA	Nos.	215000	19.35
Contour Trenches	ha	353	45.90
Creation of water bodies	Nos.	69	33.10
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	8	10.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	220	44.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	223	40.14
Total			322.30

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी संक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

5

7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्ति की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गणित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, गें पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 212 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- **213** /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, **03** जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालागढ़ टाईगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 284.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	KALAGARH TIGER RESERVE	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Creation of water bodies	Nos.	4	65.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	90	27.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	730	97.27
Lantana Removal Maintenance	ha	795.17	83.27
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	23	12.20
TOTAL			284.74

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अनिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।

3

8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रमाणीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रमाणीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम)-आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरगेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रमाणीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 213 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-1 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

3 मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-214 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

निदेशक,
कोर्बेट टाईगर रिजर्व
रामनगर, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 803.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	CORBETT TIGER RESERVE	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Creation of water bodies	Nos.	11	95.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	65	440.00
Lantana Removal/Invasive Species **	ha	2896	164.37
Lantana Removal Maintenance	ha	625.96	47.48
Pasture Development	ha	425	21.25
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	25	35.00
TOTAL			803.10

** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार लैंटाना उन्मूलन मद में वर्तमान में 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2021-22 के अंतर्गत लैंटाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद में प्रभाग द्वारा की गई मांग की, प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना से पुष्टि कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। लैंटाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद की शेष धनराशि प्रमुख वन संरक्षक महोदय की अपेक्षानुसार प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना से लक्ष्यों की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मांगों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

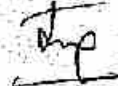
नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

4

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का प्रालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा धृत स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दितपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 214 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-215/3-3(5)/2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

उप निदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 53.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	GOVIND WLS	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Creation of water bodies	Nos.	12	12.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	150	22.50
Lantana Removal/Invasive Species	ha	250	12.50
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	7	6.00
Total			53.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

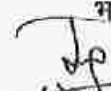
नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुगोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

5

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुरंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGDS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

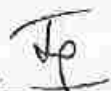
भवदीय,


(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 215 / 3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 246 /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

उप निदेशक,
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क,

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 370.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	GANGOTRI NATIONAL PARK	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Contour Trenches	ha	20	2.00
Creation of water bodies	Nos.	114	38.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	48	50.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	790	168.50
Lantana Removal/Invasive Species	ha	654	98.10
Lantana Removal Maintenance	ha	41	6.15
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	9	8.00
Total			370.75

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रिक्वोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

 (जे0 एस0 सुहाग)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 216 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा


उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-217 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 122.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TARAI CENTRAL DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	8.9	3.01
Plantation Maintenance - CA	ha	158.38	23.75
Creation of water bodies	Nos.	7	10.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	5	12.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	3	9.50
Lantana Removal/Invasive Species **	ha	960.68	51.18
Lantana Removal Maintenance	ha	78.4	4.78
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	13	8.00
Total			122.72

** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार लैंडाना उन्मूलन मद में वर्तमान में 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2021-22 के अंतर्गत लैंडाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद में प्रभाग द्वारा की गई मांग की, प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना से पुष्टि कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। लैंडाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद की शेष धनराशि प्रमुख वन संरक्षक महोदय की अपेक्षानुसार प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना से लक्ष्यों की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOS) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय दस्तपुरिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर ग्राह्यसमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्राचीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयांतर्गत सम्पादित किया जाय।

24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारामभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 317 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-28 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 140.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TARAI WEST DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation Maintenance - CA	ha	76.3	12.88
Nursery Maintenance - CA	Nos.	1	20.00
Creation of water bodies	Nos.	8	20.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	104	52.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	285	35.55
Total			140.43

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीओआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीओआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीओआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

4

7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मांगलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधियत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 218 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- **319** /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, **03** जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 358.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	TARAI EAST DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation Maintenance - CA	ha	1032.85	160.85
Nursery Maintenance - CA	Nos.	207485	6.18
Nursery Raising - CA	Nos.	62000	5.12
Creation of water bodies	Nos.	68	34.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	86	79.25
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	144	64.80
Lantana Removal/Invasive Species	ha	64	8.28
Total			358.48

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

3

5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOS) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 219 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे. पी. सिंह सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-320 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत गर्दों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 482.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	RAMNAGAR DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	4	1.18
Contour Trenches	ha	113	13.56
Creation of water bodies	Nos.	173	18.60
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	14	94.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	274	107.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	1229	184.35
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	18	9.00
Sub Total			427.69
		PAWALGARH CR	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Contour Trenches	ha	30	3.21
Creation of water bodies	Nos.	6	6.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	6	20.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	28	14.00
Lantana Removal/Invasive Species	ha	60	9.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	3.00
Sub Total			55.21
Total			482.90

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्त्र गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कसरे गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत राष्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुरार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए संगयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RAGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. राष्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत राष्पादित किया जाय।

24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 220 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकितप्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-321 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 222.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	HALDWANI DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	40	11.55
Nursery Maintenance - CA	Nos.	68	13.13
Nursery Raising - CA	Nos.	265000	42.72
Contour Trenches	ha	84	7.57
Creation of water bodies	Nos.	38	25.10
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	18	19.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	163	28.32
Lantana Removal/Invasive Species	ha	372.05	61.43
Sub Total			209.32
		NANDHAUR WLS (Haldwani FD)	
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	15	10.00
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	3.00
Sub Total			13.00
Total			222.32

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनिर्माण व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 321 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकितप्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-222/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 383.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	NAINITAL DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	50.22	17.98
Plantation Maintenance - CA	ha	259.88	29.11
Nursery Maintenance - CA	Nos.	200000	2.00
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	150	113.40
Contour Trenches	ha	315	28.35
Creation of water bodies	Nos.	142	63.60
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	9	7.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	397	85.40
Lantana Removal/Invasive Species	ha	355	33.02
Sub Total			380.36
Name of Activity	Unit	NAINADEVI CR	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	3.00
Sub Total			3.00
Total			383.36

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागधियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गणित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शाराकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रस्तावित स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शाराकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RGDS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

24. रागरत स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 322 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी रागिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-223/3-3(5)/2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
रामनगर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 146.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	RAMNAGAR SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Contour Trenches	ha	310	9.30
Creation of water bodies	Nos.	45	16.20
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	8	15.04
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	498	80.60
Lantana Removal/Invasive Species	ha	275	25.57
Total			146.71

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

4

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से सगयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 223 / 3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- **224** / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक, **03** जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 326.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	NAINITAL SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	150	113.40
Contour Trenches	ha	250	22.50
Creation of water bodies	Nos.	138	18.50
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	22	11.56
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	615	110.39
Lantana Removal/Invasive Species	ha	547.38	49.90
Total			326.25

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

(हस्ताक्षर)

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयांतर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 224 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 39) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-325/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
रानीखेत, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 414.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	RANIKHET SC DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	150	113.40
Contour Trenches	ha	309	30.90
Creation of water bodies	Nos.	247	62.00
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	35	29.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	973	128.55
Lantana Removal/Invasive Species	ha	550.00	50.00
Total			414.35

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, गें पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्कोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासमाव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जि0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



पत्रांक:- 225 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-227 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 166.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	BAGESHWAR DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	165.59	47.19
Plantation Maintenance - CA	ha	284.91	28.90
Nursery Maintenance - CA	Nos.	140000	2.45
Nursery Raising - CA	Nos.	144000	12.53
Contour Trenches	ha	400	20.56
Creation of water bodies	Nos.	53	10.50
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	200	24.00
Lantana Removal/Invasive Species**	ha	800	20.76
Total			166.89

** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार लैंडाना उन्मूलन मद में वर्तमान में 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2021-22 के अंतर्गत लैंडाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद में प्रभाग द्वारा की गई मांग की, प्रभाग की 10 वार्षिक कार्ययोजना/प्रबंध योजना से पुष्टि कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। लैंडाना उन्मूलन/इनवेजिव स्पीशीज मद की शेष धनराशि प्रमुख वन संरक्षक महोदय की अपेक्षानुसार प्रभाग की 10 वार्षिक कार्ययोजना/प्रबंध योजना से लक्ष्यों की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7

नियम एवं शर्तः—

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जाये। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुगोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGDS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

23. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यो के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाए।
25. सम्पादित कार्यो की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 227 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-228/3-3(5)/2021-22

दिनांक, 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 646.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Physical and Financial Targets under APO 2021-22

Name of Activity	Unit	PITHORAGARH DIVISION	
		Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
Plantation - CA	ha	443.23	126.32
Plantation Maintenance - CA	ha	1059.29	104.59
Nursery Maintenance - CA	Nos.	519660	9.09
Nursery Raising - CA	Nos.	589440	51.28
Contour Trenches	ha	300	6.68
Creation of water bodies	Nos.	510	113.50
Rejuvenation of Water Sources	Nos.	15	190.00
Soil & Water Conservation Measures	Nos.	650	42.25
Sub Total			643.71
		ASKOT WS DIVISION (Pithoragarh FD)	
Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	4	3.00
Sub Total			3.00
Total			646.71

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- 1 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- 2 अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- 3 भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जाये। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 4 जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- 5 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- 6 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्ता करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- 7 कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- 8 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOM) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्ता कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्ता की जाय।
- 9 कैम्पा योजना के अन्तर्गत संपादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुरार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- 10 आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11 उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य प्रभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रस्ताव स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
- 12 प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 13 किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 14 कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- 15 उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
- 16 उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
- 17 प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
- 18 कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
- 19 वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
- 20 संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
- 21 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
- 22 व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 23 कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथाराम्यव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,


(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 228 / 3-3(5)/2021-22 दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा